>

Title: Need to streamline the implementation of Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme in Shrawasti district of Uttar Pradesh.

डॉ. विनय कुमार पाण्डेय (श्रावस्ती): मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत जनपद श्रावस्ती में केन्द्र की विभिन्न विकास योजनाओं में कृषि विभाग की भूमि संरक्षण, मनरेगा, एम.एस.डी.पी. व अन्य विकास योजनाओं में व्याप्त अनियमितताओं की ओर आकृष्ट करना चाहूँगा।

जनपद श्रावस्ती में मनरेगा योजना के अंतर्गत संचालित वन विभाग के सुजानडीह पौधशाला में नाबालिग बच्चों द्वारा पौध रोपण का कार्य करवाया गया है। इन नाबालिग बच्चों को एक हजार पौध रोपण के लिए महज 70 रूपये मजदूरी दी गई है। ऐसा मेरे संज्ञान में लाया गया है कि नाबालिग बच्चों द्वारा मनरेगा अंतर्गत पौध रोपण की जानकारी रेंजर गिरंट सहित डी.एफ.ओ. को भी थी। परन्तु जानबूझकर गिरंट वन विभाग के उक्त पौधशाला में बाल श्रमिकों को लगाकर बाल श्रम अधिनियम का उल्लंघन करने के साथ-साथ मनरेगा की मजदूरी की रकम कामगारों को नहीं दी गई है।

अतः मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूँगा कि उपरोक्त प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराते हुए दोषियों के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही करवाए जाने का कष्ट करें।